राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3973 / 2025

1. सुरेश चंद यादव
2. कालु राम

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति कांस्टेबल (बैंड) के पद पर वर्ष 1999 में हुई। अपीलार्थी की भर्ती राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अंतर्गत हुई थी। पुलिस तकनीकी संवर्ग में हेड कांस्टेबल के बाद पदोन्नति का पद सब–इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर आदि होता है। अपीलार्थीगण को कांस्टेबल बैंड के रूप में नियुक्त किया गया था, तदनुसार उन्हें नौ साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर पहला चयन वेतनमान (हेड कांस्टेबल का) प्रदान किया गया था। संशोधित वेतनमान नियमों में है, पहला चयन ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई नौ साल की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले एक पदोन्नति नहीं मिली हो, जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध है। दूसरा चयन ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई अठारह साल की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले दो पदोन्नति नहीं मिली हो, जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध हो सकता था और उसे दिया गया पहला चयन ग्रेड 2200–4000 रुपये के वेतनमान से कम था। तीसरा चयन ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई पूरा करता है सत्ताईस वर्ष की सेवा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले तीन

पदोन्नतियाँ न मिली हों, जो उसके मौजूदा संवर्ग में उपलब्ध हों और उसे प्रदान किया गया पहला या दूसरा चयन ग्रेड, जैसा भी हो, 2200–4000 रुपये के वेतनमान से कम हो। नौ, अठारह या सत्ताईस वर्ष की सेवा, जैसा भी हो, मौजूदा संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से गिनी जाएगी, सेवा भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी (अनुलग्नक–2)। तदनुसार, अपीलार्थी 2017 से 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर द्वितीय वेतनमान का लाभ पाने के हकदार हैं, लेकिन उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूरी होने के दिन से अब तक अवैध रूप से द्वितीय वेतनमान का लाभ जारी/अनुदानित नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य वेतन आयोग के सातवें संशोधन द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 प्रख्यापित किए हैं। अपीलार्थीगण को संशोधित वेतन संरचना के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत अपना विकल्प फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो अपीलार्थीगण द्वारा जमा करवाया गया। अपीलार्थीगण को उनके समान स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त वेतनमान से कम वेतनमान प्राप्त हुआ है, जो गलत है। अपीलार्थीगण ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी ने पुनः विकल्प पत्र भरने की अनुमति देकर नवीन वेतनमान का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी के समान प्रकरणों में पुनः विकल्प दिये जाने के आदेश दिये है। अतः अपीलार्थीगण के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 में पारित निर्णय के अनुसार अपीलार्थी के प्रकरण में आदेश पारित किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)